39168 5207/..

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

₹ 20000 INDIA NON JUDICIAL ₹ 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 048157

TRY. LKO.







विक्रय विलेख

विक्रय मूल्य : रू0 8,87,145/-
बाजारू मूल्य : रू0 4,04,800/-
स्टाम्प शुल्क : रू0 88,800/-
परगना : बिजनौर

यह विक्रय विलेख सोहन लाल, राम प्रसाद व बिशुन पुत्रगण मुन्ने, निवासीगण-ग्राम-[illegible] नगर, [illegible], परगना-बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा

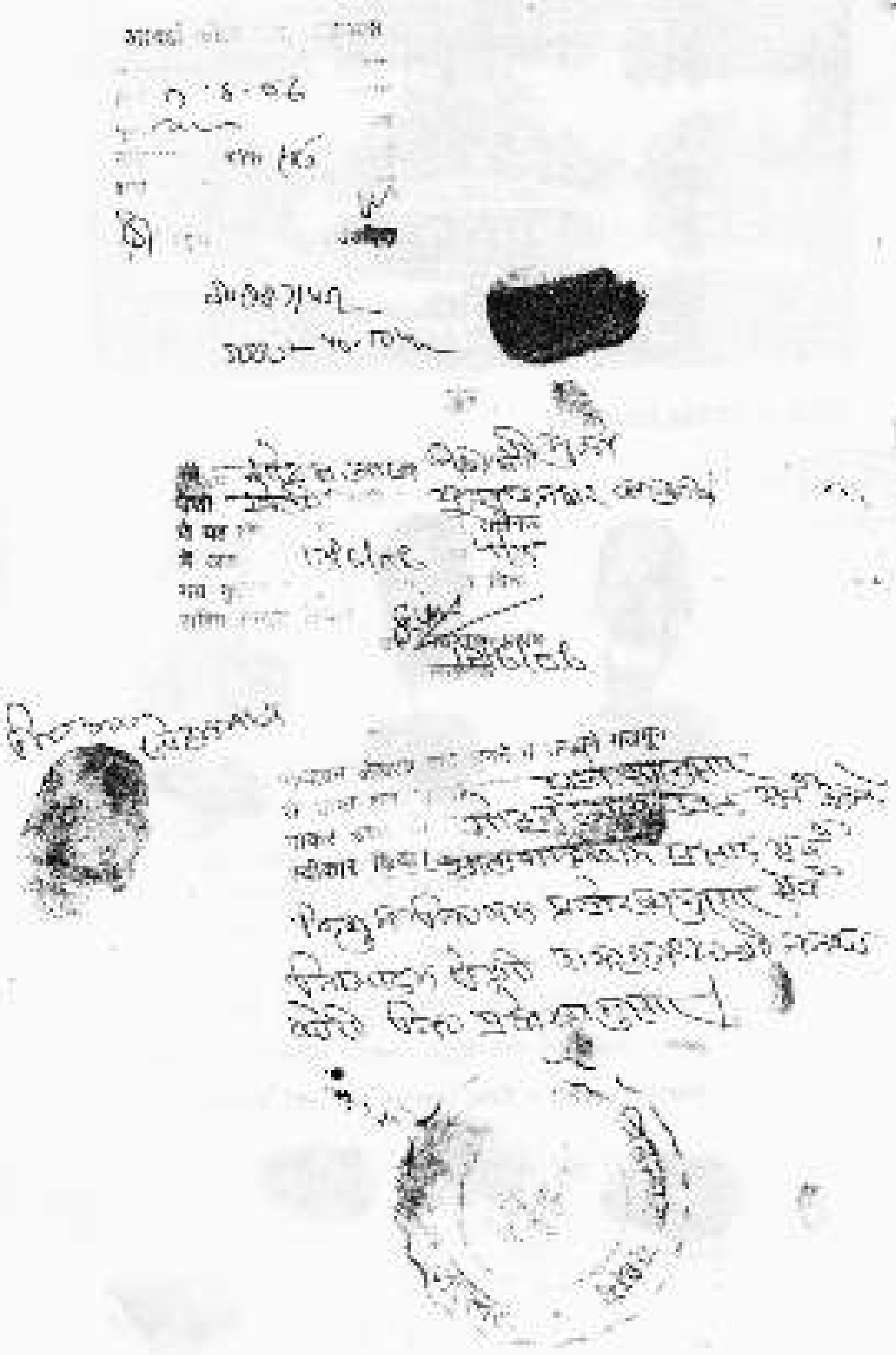

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

Rs. 20000 INDIA NON JUDICIAL Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 048159

TRY. LKO.





गया है, एवम् राम सरन पुत्र मनका कोरी, निवासी–मिर्जापुर, गिरादी, पोस्ट–नागांव, जिला–फतेहपुर, अथवा जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेतागण सम्बन्धित पंचवर्षीय खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं० 132 के खसरा संख्या–99 रकबा 0.368 हैक्टेयर, स्थित ग्राम–युसुफ नगर,

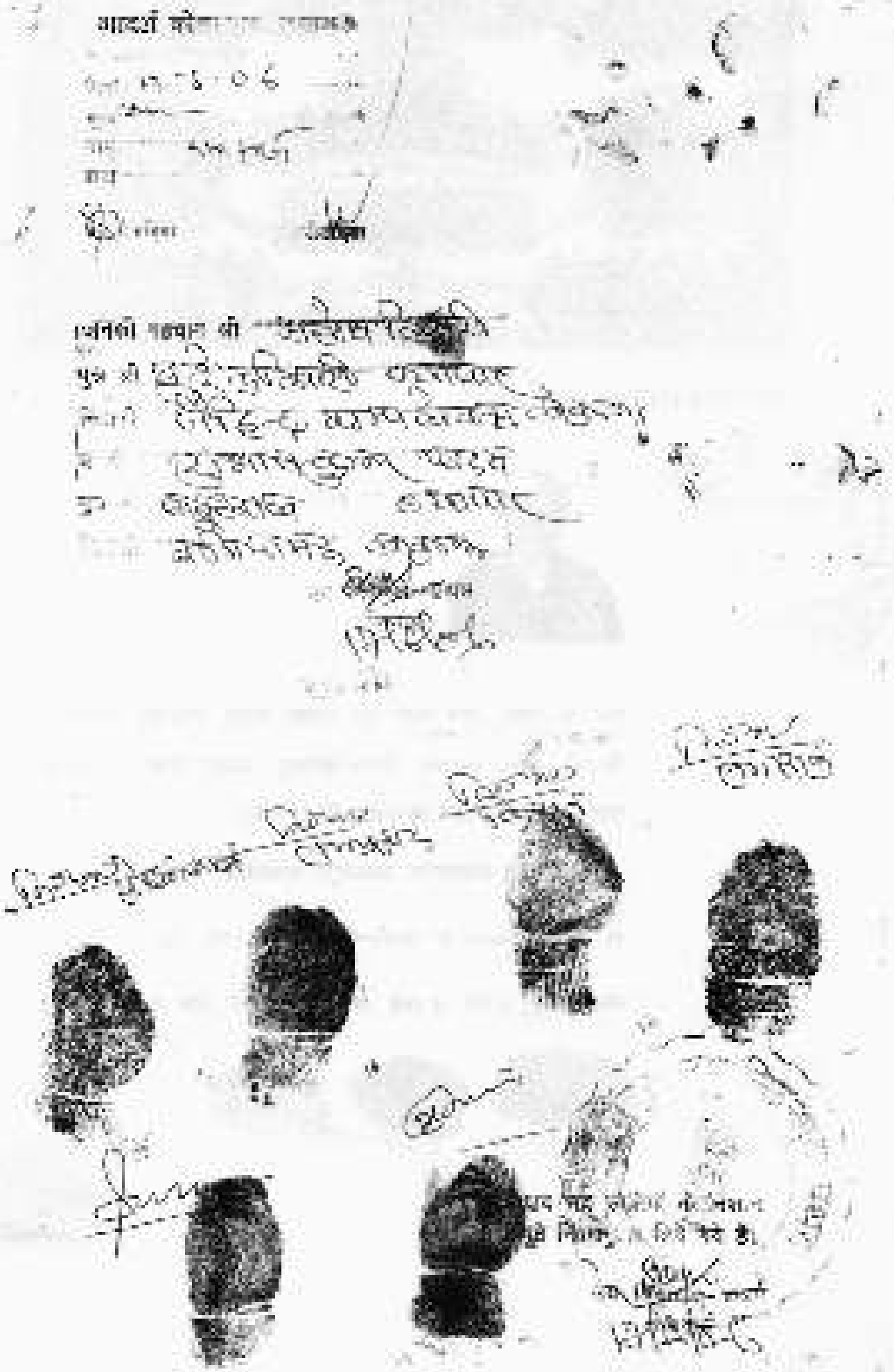

बीस हजार रुपये
RUPEES
20000
रुपये
Rs. 20000
INDIA NON JUDICIAL
Rs. 20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 048139



भगियामऊ, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ, के मालिक, काबिज व दाखिल हैं, उक्त भूमि विक्रेतागण को विरासत में मिली है। उपरोक्त विक्रीत पंचवार्षिक खतौनी क्रम संख्या-132 के आधार पर विक्रेतागण का नाम राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज हो चुका है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हजार रुपये

RUPEES

Rs.20000 INDIA NON JUDICIAL Rs.20000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 048160



हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिज व दाखिल है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी

5000Rs

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु.

Rs 5000

भारत

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

7359?



प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अंतर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त

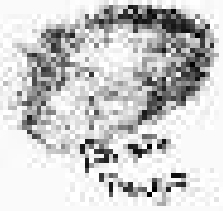

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.

R$ 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

611073



भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 8,87,145/- (रुपया आठ लाख सत्तासी हजार एक सौ पैंतालिस मात्र) के प्रतिफल में, जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा

विक्रेतागण की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता को हाल उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को

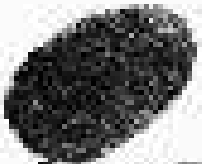

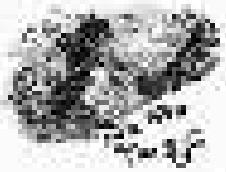

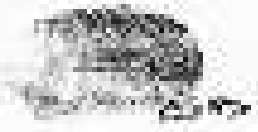

कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी बता दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित

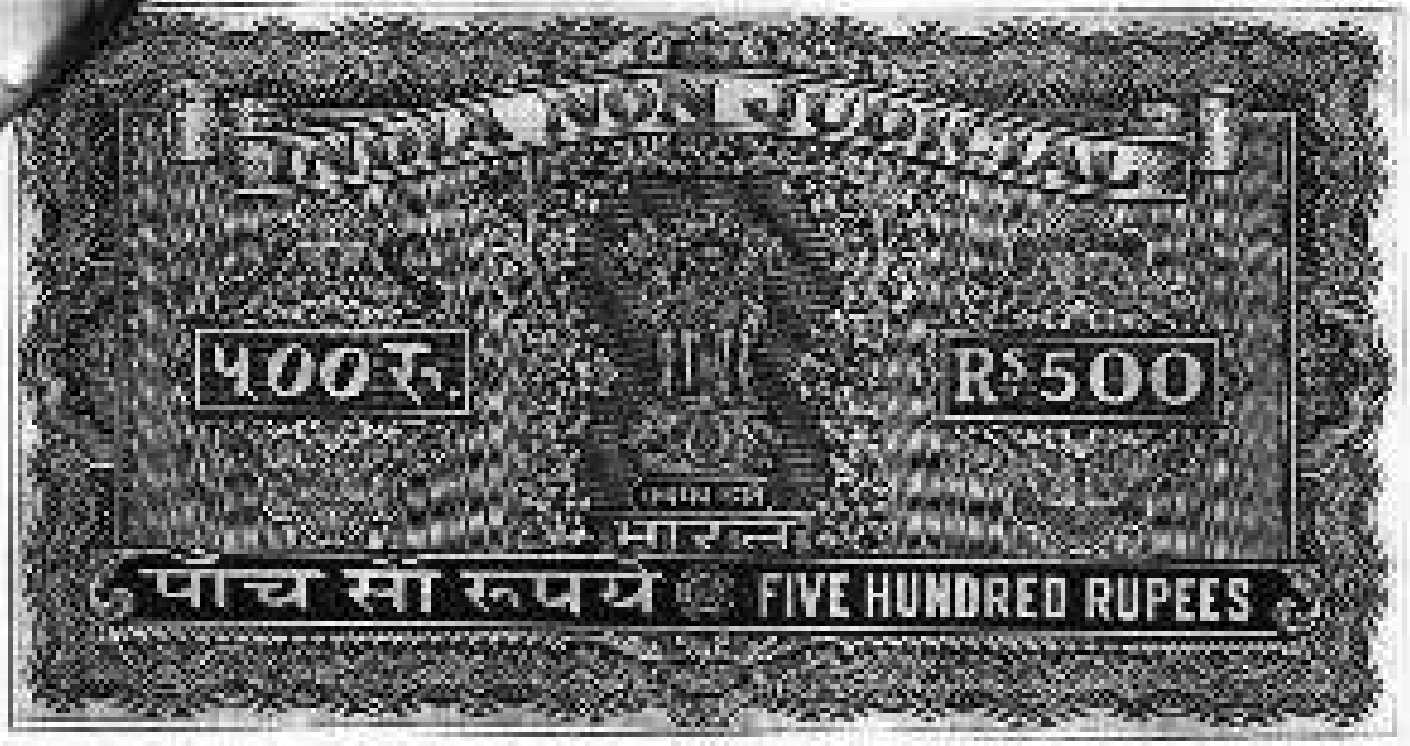




कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.

Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES



विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जावे तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल,

500Rs

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु. Rs 500

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES



अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

TRY. LKO.
19 JUN 2006



उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम युसुफ नगर, बगियामऊ, अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/– प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.368 हेक्टेअर की मालियत रू0 4,04,800/– होती है। चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



दो अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु0 88,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्न्तवास मे कोई निर्माण नही है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नही है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग 500 मीटर से अधिक की दूरी पर स्थित है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निष्पादन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

## परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

सत्यापित षटवार्षिक खतौनी सन् 1408 से 1413 फसली के खाता खतौनी क्रम सं0 132 के खसरा संख्या-99 रकबा 0.368 हेक्टेअर, स्थित ग्राम-युसुफ नगर, बगियामऊ, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्न है।

*खसरा न0 99*

| | |
|---|---|
| पूरब | : खसरा संख्या-101 |
| पश्चिम | : खसरा संख्या-98 |
| उत्तर | : खसरा संख्या-97 |
| दक्षिण | : खसरा संख्या-100 |

## परिशिष्ट : भुगतान विवरण

कुल विक्रय मूल्य रु0 8,87,145/- (रुपया आठ लाख सत्तासी हजार एक सौ पैंतालिस मात्र) में से सोहन लाल को रु0 2,95,715/- (दो लाख पन्चानबे हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) को चेक सं0 454558 व राम प्रसाद को रु0 2,95,715/- (दो लाख पन्चानबे हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) को चेक

सं० 457557, दिनांक को रु० 2,95,715/- (दो लाख पन्चानबे हजार सात सौ पन्द्रह मात्र) को चैक संख्या 457560 सभी चैक दिनांकित 17.06.2006, जारीकर्ता बैंक पंजाब नेशनल बैंक शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेतागण ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

नोट:- समस्त चैकों की संख्या काले पेन से लिखी गयी है।

लखनऊ

दिनांक: 17.06.2006

गवाह

1.

2.

विक्रेतागण

क्रेता

टाईपकर्ता

(अभय शाह)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता

(सैय्यद अन्जर हुसैन)

एडवोकेट

# रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

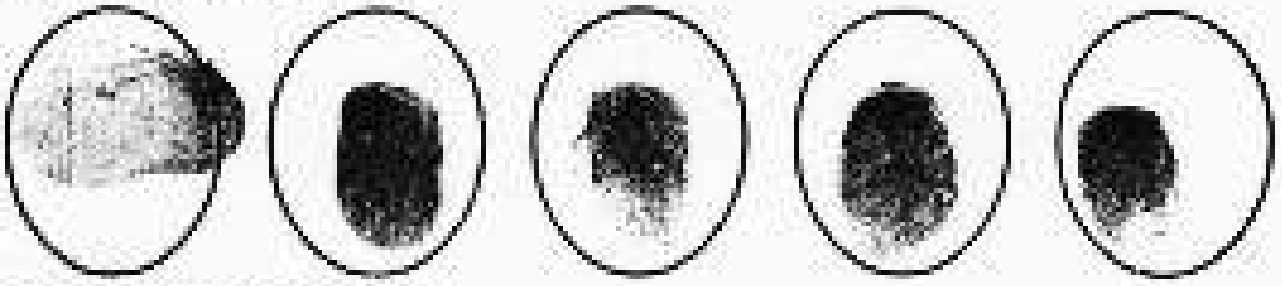



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

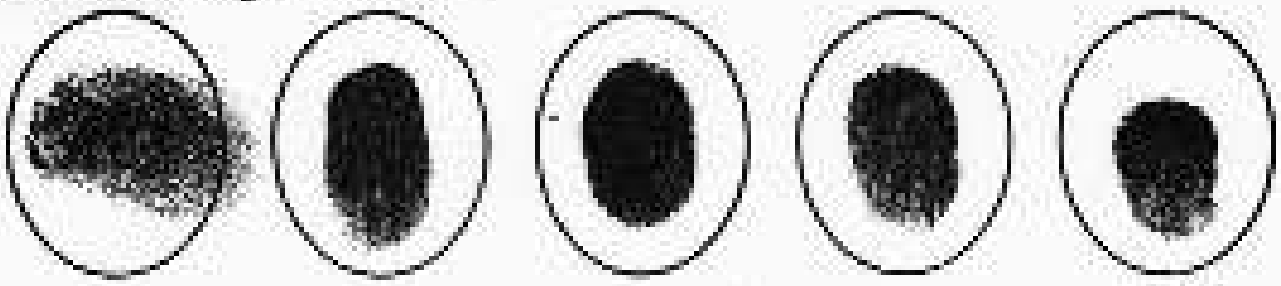



प्रस्तुतकर्ता/क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :- [illegible]

[illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

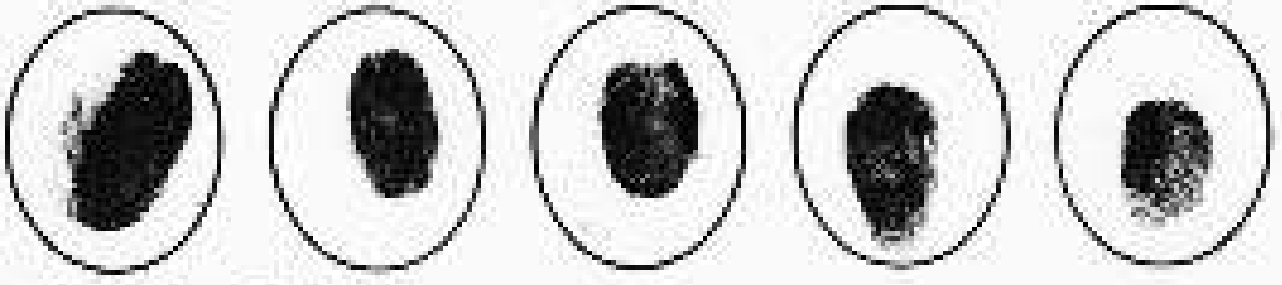



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

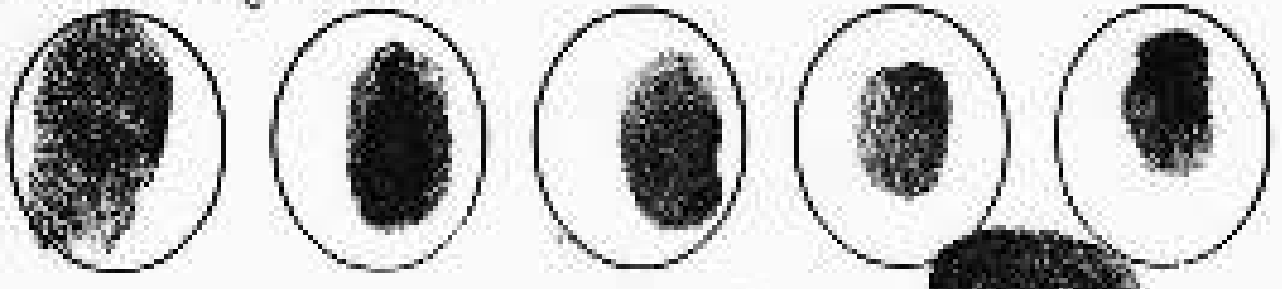

# रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टर्स

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता का नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

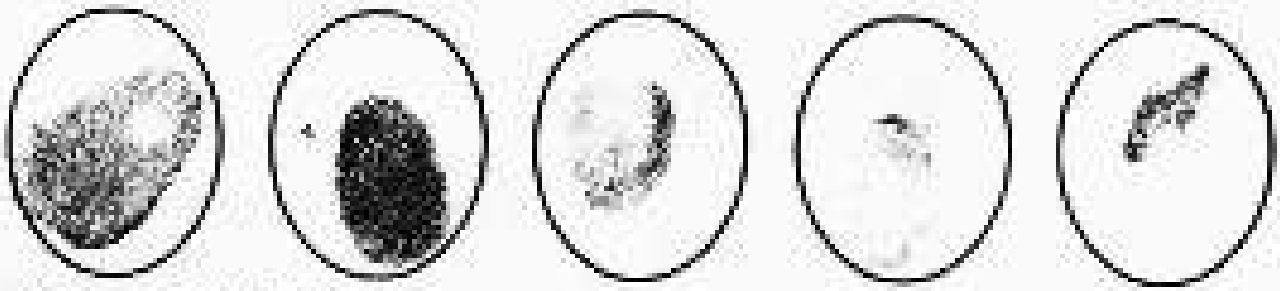



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

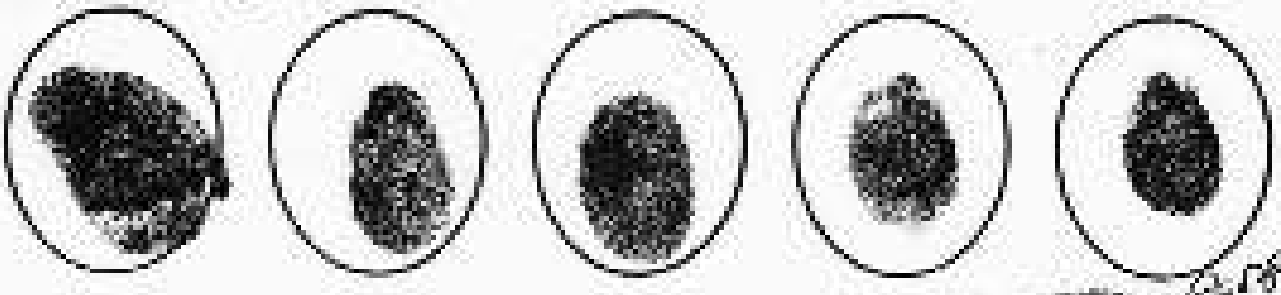



प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता [illegible] हस्ताक्षर

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता :-

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

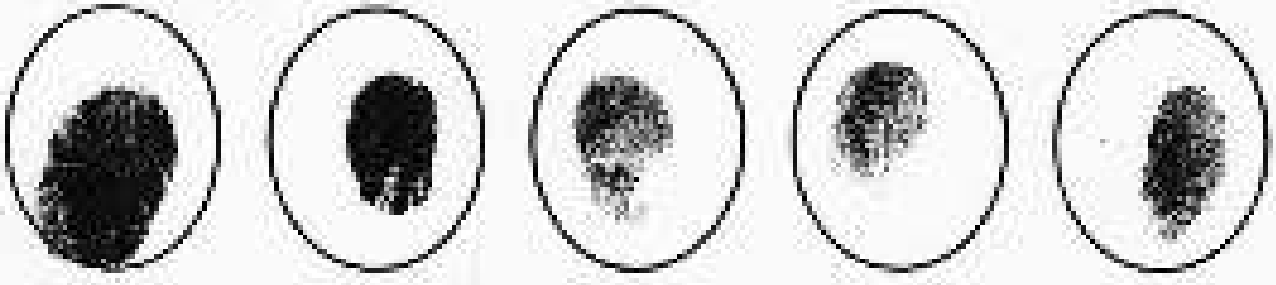

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-